संख्या- 927/11-6-2016-XXX ई0बी0-9(4)/92

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6

लखनऊ:दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

विषयः प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों को पुनर्संचालित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3631/1-म0क0-94-तीस.ई.बी. 9(4)/92 दिनांक 15.11.1994 द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक बन्द चले आ रहे छविगृहों को पुनः खोलने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत पुनः संचालन की तिथि से तीन वर्ष के लिये सम्बन्धित छविगृह में प्रदर्शित फिल्म के सम्बन्ध में देय आमोद कर की धनराशि के 30 प्रतिशत के बराबर अनुदान अनुमन्य किया गया था।

2- मार्च 2015 तक प्रदेश में 709 एकल छविगृह बन्द हो चुके हैं। छविगृहों के बन्द होने से विभाग की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बन्द हो चुके छविगृहों से वर्तमान में कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत बन्द हुए इन छविगृहो को पुनः चालू किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 मार्च 2015 तक बन्द पड़े छविगृहों को बिना किसी निवेश के पुनः खोलने हेतु प्रोत्साहन दिया जाये, जिससे बंद पड़े कई छविगृह संचालित हो सकते हैं एवं विभाग को मनोरंजन कर की प्राप्ति के साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

3- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे छविगृह जो दिनांक 31.03.2015 तक बन्द हो चुके हैं, उनको इस योजना में सम्मिलित करते हुये अनुदान की स्वीकृति के दिनांक से निम्नवत् अनुदान प्रदान किया जायेगा :-

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	संग्रहीत मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत अनुदान
चतुर्थ वर्ष एवं उससे आगे	पूर्ण कर देयता

4- छविगृहों को पुनर्संचालित करने के उद्देश्य से लागू यह प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

1) इस योजना में, बन्द पड़े उन छविगृहों को अनुदान का लाभ अनुमन्य होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर दिनांक 31.03.2017 तक सिनेमा पुनर्संचालित कर लेते हैं।

...2

2) पुनर्संचालन हेतु इच्छुक छविगृहों को अनुदान की अवधि समाप्त होने के उपरांत कम से कम पॉच वर्ष तक छविगृह का संचालन किया जाना अनिवार्य होगा, इस अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व के बकाए की भांति वसूल की जायेगी।

3) छविगृह स्वामी को प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किए गए टिकट से प्राप्त आय का लेखा उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 के नियम–13 के अनुसार "प्रपत्र ख" में बनाना होगा एवं अनुदान की अवधि में इसके देय कर की राशि अलग से दिखायी जाएगी। छविगृह स्वामी को उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–8 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा।

4) छविगृह स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की धनराशि को नकद जमा करना आवश्यक न होगा एवं इस सम्बन्ध में यह मान लिया जाएगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम–24 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के बराबर की धनराशि जमा कर दी है, किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक माह छविगृह स्वामी उपरोक्त बिल के साथ उस माह के लिए अनुमन्य अनुदान की कुल धनराशि का विवरण भी संलग्न करेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके उक्त राशि को अनुदान संख्या–90 के मुख्य लेखा शीर्षक "2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क– आयोजनागत–101–संग्रहण प्रभार–मनोरंजन कर–04 छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डालते हुए उसे प्राप्ति शीर्षक–"0045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–101–मनोरंजन कर–01–कर संग्रहण" के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित प्रतिहस्ताक्षरित विवरण पत्र वाउचर का कार्य करेगा।

5) सिनेमा स्वामी, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के अन्तर्गत विहित अधिकारी द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करेंगे।

6) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक छविगृह स्वामी द्वारा संलग्न **प्रारूप**–1 में प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा। छविगृह स्वामी एवं सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के मध्य संलग्न **प्रारूप–3** में अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, तदुपरांत **प्रारूप–2** में जिला मजिस्ट्रेट अनुदान स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।

...3

7) शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है, अथवा सिनेमा स्वामी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुदान सहित प्रथम प्रदर्शन से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व के बकाए की भांति वसूल की जायेगी।

8) उक्त अनुदान योजना के अन्तर्गत पुनर्संचालित छविगृह को अनुदान अवधि में अन्य किसी अनुदान योजना/उच्चीकरण योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकेगा।

9) प्रदेश के सभी क्षेत्रों के एकल छविगृह जो दिनांक 31.03.2015 तक बंद हो चुके हैं, उनको इस योजना में सम्मिलित करते हुए अनुदान की स्वीकृति की दिनांक से अनुदान प्रदान किया जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 927 (1)/11–6–16– XXX ई0बी0–9(4)/92, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 3420/विधि संशोधन/ 2016–17 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपिः–समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संख्याधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(ए0एम0त्रिपाठी)
सहायक मनोरंजन कर आयुक्त,
मुख्यालय।

closed cinema